न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिलाबून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–81 / 2020 दायर दिनांकः 17.07.2020

GCMS NO:- 2020/00138

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. राजूलाल पुत्र रामकुवांर जाति बैरवा निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
2. निलेश पुत्र शंकर जाति बैरवा निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
3. सोनू पुत्र शंकर जाति बैरवा निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
4. अजय पुत्र शंकर नाबालिग जर्ये माता कमला जाति बैरवा निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
5. मूर्ति बाई पुत्री शंकर जाति बैरवा निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
6. कमला पत्नी शंकर जाति बैरवा निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
7. केसरा पुत्र गोरू जाति बैरवा निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
8. पांच्या पुत्र गोरू जाति बैरवा निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
9. रामा पुत्र गोरू जाति बैरवा निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
10. बरधीलाल पुत्र गेन्दिया जाति बैरवा निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
11. सीतारामपुत्र गेन्दिया जाति बैरवा निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
12. छोटूलाल पुत्र गेन्दिया जाति बैरवा निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र घनश्याम जाति जाट निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
2. बाबूलाल पुत्र घनश्याम जाति जाट निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
3. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

––प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251"क" आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 15.07.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रालडी पटवार हल्का रजलावता तहसील नैंनवां के खसरा सं. 282 रकबा 05–09 बीघा कृषि भूमि स्थित है। जिस पर आने जाने व गाडी बेल, ट्रेक्टर ट्रोली, लाने ले जाने के लिए व कृषि उपज लाने के लिये प्रत्यार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी की खसरा संख्या 283 रकबा 37–01 बीघा भूमि में होकर 8 फीट चौडा रास्ता बना हुआ है यह रास्ता प्रत्यार्थीगण के खेत में होकर प्रार्थीगण के खाते के खेत खसरा संख्या 282 में पहुँचता है। यह रास्ता ग्राम रालडी गांव से बम्बूली जाने वाले आम सरकारी रास्ते में होकर जो दक्षिण से उत्तर की ओर होता हुआ खसरा संख्या 284 के पूर्वी कोने से पश्चिम की ओर मुडकर खसरा संख्या 283 में होकर खसरा संख्या 282 प्रार्थीगण के खाते की भूमि पर पहुँचता है। सदैव से प्रार्थीगण इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। इसलिये रास्ते की भूमि [illegible] प्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:19:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)

Scanned with CamScanner

283 में 8 फूट चौडाई के रास्ते को नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। यह प्रार्थना पत्र का कारण है। अतः प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा संख्या 282 में पहुँचने के लिये प्रत्यार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 283 में होकर पूर्व से पश्चिम रालडी से बम्बूली जाने वाले रास्ते से पूर्व–पश्चिम मेर के सहारे राजस्व नक्शे में दर्ज कर ग्राम रालडी से बम्बूली के रास्ते से फिट चौडा रास्ता नक्शे में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी नकल 2074–77 खाता संख्या 86, नकल नक्शा ट्रेस, शपथ–पत्र आदि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। तहसीलदार नैनवॉ से प्राप्त रास्ते की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 282 रकबा 05–09 बीघा तक जाने के लिए खसरा संख्या 282 तथा 283 मे से अस्थायी रास्ता है। खसरा संख्या 282 रकबा 05–09 बीघा तक जाने के लिए खसरा संख्या 283 में से 80 गट्टा लम्बा एवं 2 गट्ठा चौडा रास्ता देने पर कुल 0–08 बिस्वा भूमि का रास्ता प्रस्तावित दिया जाना उचित होगा। यह कि इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 282 तक पहुंचने का कोई अन्य सुलभ रास्ता रिकॉर्ड एवं मौके पर मौजूद नहीं है। यह कि उक्त रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी । प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम रालडी पटवार हल्का रजलावता तहसील नैंनवां के खसरा सं. 282 रकबा 05–09 बीघा कृषि भूमि पर आने जाने तथा ट्रेक्टर–ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु खसरा संख्या 283 में से 80 गट्टा लम्बा एवं 2 गट्ठा चौडा रास्ता देने पर कुल 08 बिस्वा भूमि, जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जाकर मौके पर रास्ता बहाल करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैनवॉ

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:19:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner